न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी (आई0ए0एस0)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 16/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/37

उनवान प्रकरण

1–छत्तरसिंह पुत्र महाराजसिंह	समस्त जातिगण गुर्जर
2–नौबतसिंह पुत्र महाराजसिंह	
3–चन्दनसिंह पुत्र लखमीचन्द	निवासीगण ग्राम मावई का नगला
4–पंजाबसिंह पुत्र लखमीचन्द	
5–दीवानसिंह पुत्र लखमीचन्द	तहसील वसईनबाव
6–दूल्हेराम पुत्र अमरसिंह	
7–राजबीर पुत्र अमरसिंह	जिला धौलपुर
8–महेश पुत्र अमरसिंह	

.....................अपीलान्टस

बनाम

तहसीलदार वसईनबाव तहसील वसईनबाव जिला धौलपुर ....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.02.2024
मु0नं0 451/2024 सरकार बनाम चन्दनसिंह वगैरा
धारा 91 एलआरएक्ट न्याया0 तहसीलदार वसईनबाव

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री रामअवतोर गौड एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 07.10.2024**

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 752 रकवा 1.8082 हेक्टेयर बांके ग्राम कुरैंधा तहसील वसईनबाव सिवायचक आराजी पर सम्बत 2080 में फसल सरसों व जौ बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए खडी फसल को जप्त कर नीलाम करने एवं अपीलान्ट को बेदखल किये जाने तथा लगान का 50 गुना शास्ति 537/–रू0 कायम करने का आदेश दिनांक 28.02.2024 पारित किया है। जबकि आराजी खसरा नम्बर 752 रकवा 07 वीधा 03 विस्वा एवं खसरा नम्बर 749 रकवा 01 वीधा 11 विस्वा व खसरा नम्बर

750 रकवा 05 बिस्वा वाके ग्राम कुरैधा हाल राजस्व ग्राम रजौलीपुरा तहसील बसईनवाब विधिवत अपीलान्टस के पूर्व पुरूष महाराजसिंह व अमरसिंह पुत्रगण धराम जाति गुर्जर के हक में दिनांक 04.03.1976 को विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा छोटी पट्टी के रूप में आवंटित किया गया था तथा वक्त आवंटन से अपीलान्टस के पूर्व पुरूष महाराजसिंह व अमरसिंह मुताविक हिस्सा आवंटित शुदा आराजी पर काबिज होकर निरन्तर रूप से काश्त करते रहे तथा महाराजसिंह व अमरसिंह के निधनोपरान्त अपीलान्टस निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आप में विरोधावाषी निर्णय पारित किया है। से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है तथा काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनबाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और अपीलान्ट पर बिना किसी प्रकार तामील कराये विधिक प्रावधानों को ताक पर रखकर राठौरी रवैया अख्तैयार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपने आप में विधिक प्रावधनों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 04.03.2024 को हल्का पटवारी के अवगत कराने पर हुआ तत्पश्चात उसी दिन दिनांक 04.03.2024 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय तहसीलदार सैपऊ के यहां प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 04.03.2024 को प्राप्त हुई। ज्ञान से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र देरी को क्षमा करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टाइप शुदा आदेश में केवल खाली स्थान भर कर आदेश मनमाने तरीके से पारित किया है। तहसीलदार सैपऊ द्वारा उपरोक्त विवादित आराजीयात के बावत नियमन का पात्र मानते हुये आवन्टन/नियमन हेतु उपयुक्त मानते हुये अपनी स्वंय की अभिषंशा करते हुये पत्रावली उप जिला कलक्टर सैपऊ को प्रेषित की है जो वर्तमान में अभी लम्बित है। उपरोक्त नियमन पत्रावली के विचाराधीन रहते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पूर्व में स्वंय तहसीलदार सैपऊ ही अपीलान्ट को नियमन का पात्र मान चुके है फिर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर विधि विरूद्व तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनबाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और अपीलान्ट पर बिना किसी प्रकार तामील कराये विधिक प्रावधानों को ताक पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपने आप में विधिक प्रावधनों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवायचक सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिकमी है। पटवारी द्वारा अतिकमी के विरूद्व की गई रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतिकमी का अतिकमण सिद्व होता है। चूंकि आराजी सरकारी सिवायचक है। अतिकमी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वसईनबाव के आदेश दिनांक 28.2.2024में अपीलान्ट को उपस्थित/अनुपस्थित, सबूत पेश किये/नहीं किये लिखा है इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलान्ट उपस्थित हुआ अथवा अनुपस्थित रहा। अपीलान्ट ने जवाब, सबूत साक्ष्य पेश किये या नहीं किये स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वसईनबाव ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश छपे हुए प्रपत्र में खाली स्थानो पर पेन से कथित अतिकमण का विवरण अंकित किया है, यह विवके पूर्ण आदेश न होकर मात्र फार्म भरने जैसा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये ऐसा कोई तामीली नोटिस पत्रावलीमें उपलब्ध नहीं है। अपीलान्टस को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्टस का यह कथन है कि विवादित आराजी अपीलान्टस के पूर्व पुरूष महाराजसिंह व अमरसिंह के हक में दिनांक 04.03.1976 को विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा छोटी पटटी के रूप में आवंटित की गई है तथा वक्त आवंटन से अपीलान्टस के पूर्व पुरूष महाराजसिंह व अमरसिंह आवंटित शुदा आराजी पर काबिज होकर निरन्तर रूप से काश्त करते रहे तथा महाराजसिंह व अमरसिंह के निधनोपरान्त अपीलान्टस निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है। इस सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.02.2024 में इसका कोई उल्लेख व विवेचन अंकित नहीं किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य सरसरी तौर पर करना अनुचित है। अपीलाधीन आदेश विवेक पूर्ण आदेश न होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकरअधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार वसईनबाव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह पत्रावली का अवलोकन कर अपीलान्टस को पुनः सुनवाई का मौका दिया जाकर विधिवत सुनवाई कर सुनवाई के पश्चात गुणावगुण के आधार पर स्पीकिंग आदेश पारित करें तथा भविष्य में इस तरह के छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित नहीं करें। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार वसईनबाव को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर